

# न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(शिवघरण मीना, आर०ए०एस० द्वारा अध्याशित)

प्रकरण संख्या:-

प्रविष्टि दिनांक:-

32 / 2023

24.02.2023

मदन पुत्र छोगा जाति रैगर निवासी कूकड, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

..... अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

..... रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 03.02.2023 प्रकरण संख्या 1786/2022

उपस्थित: (1)श्री मनीष कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट  
(2)श्री मजहर आलम, परोकार सरकार

## निर्णय

दिनांक 19.07.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 03.02.2023 द्वारा अपीलांत को भूमि आराजी खसरा नम्बर 2527/1 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम मोर तहसील टोडारायसिंह पर फसल सरसों/गेंहूं काश्त कर अतिक्रमण करने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांत को बेदखल किये जाने, वार्षिक लगान 1.05 रुपये की 50 गुणा पेनल्टी 53/- रुपये जमा कराने एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपीलांत ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांत पर नहीं हुई, उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पे



दक्षिण दिना कलेक्टर  
टोंक

करने का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया। अपीलांट के विरुद्ध हलका पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है, पटवारी हलका की रिपोर्ट दुर्भावना पूर्वक की गई है, जिससे निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दोषपूर्ण विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिससे अपीलांट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। उक्त प्रकरण में अपीलांट को पटवारी से जिरह करने का भी कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलांट ने नियमानुसार पेनल्टी की राशि जमा करवा दी है, अपीलांट का मौके पर किसी भी चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट को सजायाबं किये जाने से पूर्व विधिअनुसार अपीलांट को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अपीलांट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण कर फसल काश्त नहीं की है और ना ही अपीलांट का किसी चारागाह भूमि से कोई संबंध है। अपीलांट ने उक्त आराजी भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने व भविष्य में अतिक्रमण/कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है एवं अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अतिक्रमी ने भूमि आराजी खसरा नम्बर 2527/1 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम मोर तहसील टोडारायसिंह पर गेंहू की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। हलका पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संवत् 2079 से स्पष्ट होता है कि अतिक्रमी ने राजकीय चरागाह भूमि पर गेंहू की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया था। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर ज्वार की फसल काश्त की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मिसल संख्या 1132 निर्णय दिनांक 27.08.2021 से भौतिक रूप से बेदखल किया गया था परन्तु अपीलांट ने पुनः अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है एवं नोटिस पर अपीलांट की विधिवत तामिल हुई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हलका के रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि खसरा नम्बर 2527/1 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम मोर तहसील टोडारायसिंह पर गेंहू की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर कब्जा कर ज्वार की फसल काश्त की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मिसल संख्या 1132 निर्णय दिनांक 27.08.2021 द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अतिक्रमी के पास जीविकोपार्जन के लिए कृषि भूमि होते हुए भी अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को पूर्व में भी उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किया था परन्तु इसके उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर




लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत आदतन अतिक्रमी है। अतिक्रमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है जिसे किसी भी प्रकार आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण होने से आमजन को असुविधा होती है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण से ग्राम के मवेशियों के सामने चरने/विचरण करने का संकट पैदा कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी (सी) नम्बर 1132/2011 उनवान जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. सिविल सिविल रिट याचिका संख्या 8045/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 में भी अतिक्रमण को रोकने के लिए ठोस कार्यवाही किये जाने बाबत उल्लेखित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 03.02.2023 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
अति.जिला कलेक्टर, टोंक